

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री रोहित कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 94/2019

सरकार बनाम 1. उकाराम पुत्र प्रागाराम कौम चौधरी 1 वगैरे

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम संपटित
59,60,66,86 भू-अभिलेख नियम 1970.

आदेश

दिनांक:-24.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम असाडा के मूल 1150 है वर्तमान में इसके विभाजित ख0न0 2088/1150, 2089/1150, 2090/1150 है। जिसकी वर्तमान जमाबंदी अनुसार स्थिति संलग्न परिशिष्ट 'अ' के कालम 1 से 6 अनुसार है। मौके पर मूल खसरा 1150 का विभाजन जमाबंदी में दर्ज खसरा नम्बर अनुसार नहीं है। अतः संलग्न अतः परिशिष्ट 'अ' के कालम 8 से 11 अनुसार खसरे व खाते का एकीकरण करने का आदेश का निवेदन किया।

विप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया गया। बावजूद इतला विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 131, 136 के तहत राजस्व रिकॉर्ड में हुई किसी अशुद्धि को शुद्ध करने हेतु आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विभाजित खसरान का एकीकरण कर एक खसरा नम्बर एक खाता दर्ज करने का आदेश देने का निवेदन किया गया जिसके कारण यह सारहीन है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश खुल न्यायालय मे दिनांक .24.12.2019 को सुनाया गया।

(रोहित कुमार)

भू-अभिलेख अधिकारी,
सहायक कलेक्टर
(एसडीओ) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा